

21.12.2020

वकील फरीम के उपस्थिति वरुध वकील
 उपपक्षकारक को मजबूत किया गया
 प्रार्थी वकील ने यह प्रार्थना किंग
 6.8.2020 को दावा ऊपर हाजरी में
 खारिज हो जाने पर दिनांक 2-9-2020
 को यह अपील प्रस्तुत किया है।
 जो ऊपर किया है प्रकरण दिनांक
 6.8.2020 को साक्ष्य वकील के नियत रद्द
 है उक्त अवधि लोक डाकू को विड-19 में
 रही है जिसके वकील स्वयं उपस्थित
 नहीं हो सका है प्रार्थी ने कहा
 किया है कि दिनांक 6-8-2020 को
 लोक डाकू नदीपति नियमित हुजूरवाई
 चल रही थी वकील उपस्थित नहीं होने
 पर दावा खारिज किया गया है।

प्रार्थी के आवेदन कवंधर अप
 पक्ष के मजबूत से दिनांक 6.8.2020 को
 साक्ष्य के लिए COVID-2019 को लोक डाकू
 रद्द है इस कारण वकील साक्ष्य के लिए उपस्थित
 नहीं होने के कारण दावा वकील ऊपर हाजरी
 ऊपर वकील के खारिज हुआ है प्रकरण वकील
 मुक्ति है कि वकील है प्रार्थी के लिए न्याय दिलाने
 प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है
 कि प्रार्थना पत्र वकील स्वीकार किया
 जाकर प्रकरण उमयानी मजबूत सिंह वकील
 मजबूत सिंह वकील को पुनः मजबूत प्रकरण
 जाने क उचित दिये जाते हैं दावा
 खारिज है प्रार्थी के लिये मुक्ति है कि मजबूत
 दावा के साथ ही मजबूत रद्द है

उपखण्ड अधिकारी
 करौली (राज.)